दिव्य भव्य आयोजन

शाहपुरा, (निसं)। रामस्नेही नगर में हर्षोल्लास के साथ दिनांक 14 जुलाई से चातुर्मास कार्यक्रम प्रारंभ होगा जिसकी सर्वरामस्नेही सत्संगी जनों के द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है संत जगबल्लभ राम महाराज व संत नवनीत राम महाराज ने बताया कि चातुर्मास 14 जुलाई से 14 अक्टूबर तक होगा जिसके लिए आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज चातुर्मास हेतु विभिन्न स्थानों पर धर्म का प्रचार करते 14 जुलाई को शाहपुरा आएंगे इस दिव्य चातुर्मास का आगाज आचार्य श्री की पधरावणी शोभा यात्रा के साथ होगा आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज की पधरावणी शोभा यात्रा 14 जुलाई रविवार को प्रात: 8:00 बजे छत्र चवंर पगमेडे बैंडबाजे एवं साही लवाजमे के साथ धरती देवरा के पास झंवर सदन से प्रारंभ होकर कलिंजरी गेट बालाजी की छतरी सदर बाजार नया बाजार होते हुए प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए श्री रामनिवास धाम पहुंचेंगे शोभा यात्रा में स्थान स्थान पर भक्त जनों द्वारा पुष्पों की बौछार कर स्वागत किया जाएगा जगतगुरु स्वामी रामदयाल महाराज के मुखारविंद से अमृत रक्षा पान का श्रवण होगा। कपासन निवासी ओमप्रकाश सोमानी ने बताया की शोभायात्रा पधरावणी के लिए बाहर से भी भक्तों का आना शुरू हो गया है।

सरकारी स्कूल की भूमि से हटाया अवैध कब्जा

पक्का निर्माण कर किया था अतिक्रमण, जेसीबी से किया ध्वस्त

अजमेर, (कासं)। शहर में बढ़ते अतिक्रमणों को लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर रोड स्थित कांकरदा भूणाबाय गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर पक्का निर्माण कर किए गए अतिक्रमण को शुक्रवार को अजमेर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। एडीए को शिकायत मिली थी, जिस पर दो दिन पहले अतिक्रमी को नोटिस जारी कर अस्थाई अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। एडीए इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात रहा।

अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी निशान कुमार सवारियां ने बताया कि जयपुर रोड कांकरदा भूणाबाय गांव स्थित सरकारी विद्यालय को खेल मैदान के लिए खसरा नंबर

स्कूल की भूमि से अतिक्रमण हटाती जेसीबी मशीन।

659/1684 की भूमि आंवटित की गई थी। स्कूल के पास रहे परिवार ने सरकार भूमि पर अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल के जमीन पर अतिक्रमण करने की सूचना पूर्व में मिली थी। स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध दुकानों के साथ अन्य निर्माण कराए जा रहे थे। सूचना पर दो दिन पहले तहसीलदार ने मौका मुआयना करते हुए खेल मैदान की भूमि का सीमाज्ञान किया था और एडीए की टीम ने अतिकर्मी से

- **कांकरदा भूणाबाय गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर पक्का निर्माण कर किए गए अतिक्रमण को शुक्रवार को अजमेर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया**

समझाइश कर अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात कही थी, लेकिन अतिकर्मी अतिक्रमी ने निर्माण कार्य को जारी रखा गया, जिस पर शुक्रवार को एडीए की टीम ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलवा कर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा।

दौराई बारगाह में मर्सियाख्वानी के साथ मजलिस शुरू

अजमेर, (कासं)। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम दौराई में अंदर वाली इमाम बारगाह में मर्सियाखानी के साथ मजलिस शुरू हुई। मौलाना सैय्यद कोनेन अब्बास ने मजलिस को खिताब फरमाते हुए कहा कि इमाम हुसैन ने मानवता को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया। उन्होंने कहा करबला हक और बातिल की जंग थी। इमाम हुसैन हक की जंग तभी जीत गए थे, जब यजीदी सिप्हेसालार हुर्र यजीद की लाखों की फौज को छोड़कर मुट्ठी भर हुसैनी लश्कर में अपने बेटों के साथ शामिल हो गए। हुर्र जानते थे इधर मौत ही मिलनी है, लेकिन यहां हक है और यजीद की तरफ बातिल व जहन्नमी लोग हैं। इमाम हुसैन के गम को मिटाने के लिए हर दौर में पुरजोर कोशिशे हुई, लेकिन गम ए हुसैन आम होता चला गया। इसी तरहां हुसैनिया बाबुल मुराद में मौलाना तनवीर हैदर व रोजा ए मौला अब्बास पर मौलाना जिया अब्बास ने मजलिसों का खतिाब फरमाया। ग्राम दौराई में मोहर्रम के सभी धार्मिक प्रोग्राम अन्जूमन जाफरया विकास समिति व अंजुमन-ए-फाताहे फुरात के सयुंक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे हैं।

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय -नगर परिषद केकडी-राजस्थान

क्रमांक :न.प.के /कृ.भू.नि/2024-25/935 **लोक सूचना** दिनांक : 11.7.24

श्री कालूराम श्री भैरू पुत्र बालू व श्री शंकर लाल पुत्र प्रधान जाति बलाई निवासी नायकी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक (फार्म हाउस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	क्षेत्रफल
केकडी-केकडी	राजस्व ग्राम नायकी	खसरा नं. 369	रकबा 1.1600 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 11.7.24 को जारी की गयी ।

प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय -नगर परिषद केकडी-राजस्थान

क्रमांक :न.प.के /कृ.भू.नि/2024-25/936 **लोक सूचना** दिनांक : 11.7.24

श्री बजरंग पुत्र हरजीराम बैरवा, श्री कालूराम पुत्र नन्दराम बलाई श्री रामेश्वर पुत्र किशन बलाई निवासी केकडी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक (फार्म हाउस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	क्षेत्रफल
केकडी-केकडी	राजस्व ग्राम नायकी	खसरा नं. 316	रकबा 0.9800 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी ।

प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय -नगर परिषद केकडी-राजस्थान

क्रमांक :न.प.के /कृ.भू.नि/2024-25/934 **लोक सूचना** दिनांक : 11.7.24

श्री चेतन प्रकाश, श्री त्रिलोकचन्द, श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री लालाराम मेघवंशी व श्री देवकरण पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी नायकी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर -कृषिक (फार्म हाउस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	क्षेत्रफल
केकडी-केकडी	राजस्व ग्राम नायकी	खसरा नं. 361	रकबा 0.9900 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 11.7.24 को जारी की गयी ।

प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

अतिकमण हटवाने की मांग

अजमेर, (कासं)। भाजपा खोडा गणेश मण्डल के उपाध्यक्ष प्रवीण राठोड ने वार्ड नंबर 54 मदार स्थित सरकारी ग्वारी नाडी से हरे पेड कटवाने व भू माफियाओ द्वारा अतिक्रमण करने वालो के विरुद्ध अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

राठोड ने पत्र मे बताया कि मदार स्थित ग्वारी नाडी जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे खसरा नंबर 309 नगर सुधार न्यास (एडीए) के नाम इन्द्राज है, उस पर क्षेत्र के कुछ लोगो ने तथाकथित समिति बनाकर उपरोक्त नाडी से बबूल के हरे पेड कटवाकर बेच दिए है तथा भू माफियाओ ने उपरोक्त नाडी मे मिट्टी का भराव करा भूखण्ड काट ब्रेचान कर दिए है जिस पर मकान इत्यादी बन गए है इससे नाडी का क्षेत्रफल छोटा हो गया है साथ ही पानी जाने का स्त्रोत बन्द हो गया है।

राठौड ने पत्र मे यह भी बताया कि उपरोक्त नाडी के पास वर्षो पुराना एक कुआ है जिसमे नाडी के भरे रहने से कुए मे पानी का स्तर बडा रहता है तथा पास ही में ट्यूबवेल है इससे क्षेत्रीय लोग पानी भरते है साथ ही क्षेत्र के मवेशी भी वहां पानी पीने आते है।

पौधारोपण किया

सरवाड़, (निसं)। सरवाड़ शहर के नगर पालिका के तत्वावधान में व तहसील परिसर में उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर व तहसीलदार रणछोड़ लाल ने आज पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में तीन पौधे लगाकर बड़े होने तक उनकी देखभाल करनी चाहिए तभी पर्यावरण संतुलन की समस्या से निजात मिलेगी वहीं सघन वन क्षेत्र एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर तहसीलदार रणछोड़ लाल व भागचन्द खींची, किशन सिंह लाखनोत, एडवोकेट पार्षद करण बंजारा, प्रहलाद व जीवराज भील व फूलचंद सैनी साहित अन्य उपस्थित रहे।

द्वितिय राष्ट्रीय लोक अदालत आज, जिले में राजीनामें हेतु बनाई 24 बैंचें

भीलवाड़ा, (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार दिनांक 13 जुलाई 2024 को इस वर्ष की द्वितिय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अजय शर्मा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा ने जिले के सभी न्यायिक अधिकारीयों को आवश्यक निर्देश दिए। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय के सिविल,फौजदारी प्रकरणों के अलावा राजस्व मामलों को भी राजीनामें के माध्यम से प्रकरणों को निस्तारण किया जाएगा। भीलवाडा जिले में करीब 18750 लंबित प्रकरण एवं मुकदमा पूर्व के 11840 प्रकरण राजीनामें हेतु चिन्हित किये गये एवं 24 बैंचों का गठन किया गया हैं जिसमें न्यायिक अधिकारी एंव राजस्व अधिकारी एवं अनुभवी अधिवक्ता सदस्य द्वारा पक्षकारों में समझाईस कर प्रकरणों को निस्तारण किया जाएग।

प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य सभी प्रकृति के मुकदमो को निस्तारण ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव द्वारा आमजन से अपील की है कि मुकदमा पूर्व में रखी गई , बैंक , बिजली व अन्य संस्था के प्रकरणों में मूल राशि से भी कम व ब्याज माफ कर मामलो का हाथों हाथ फैशला किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर आपसी बातचीत व राजीनामें के आधार पर विवाद को निस्तारण का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का माहौल न्यायालय जैसा नहीं होकर अनौपचारिक व बहुत ही सहज होता है। लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर कह सकते है।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद ब्यावर

क्रमांक -नियमन/2024-25/196 **आम सूचना** दिनांक : 12.7.2024

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.स.	आवेदनकर्ता का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	1. ईपुल सेन पुत्री राजेन्द सेन हिस्सा 1/2 जाति नाई मकान संख्या 19, कॉलोनी शांति नगर, क्षेत्र / स्थान बलाड रोड, शहर ब्यावर, पिन कोड 305901, जिला अजमेर राज्य राजस्थान खातेदार । 2. लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी पुत्र रामचंद्र माहेश्वरी हिस्सा 1/2 जाति माहेश्वरी हिस्सा 1/2 जाति माहेश्वरी मकान संख्या 69, कॉलोनी आदर्श नगर, क्षेत्र / स्थान अजमेर रोड, शहर ब्यावर, पिन कोड 305901, जिला अजमेर, राज्य राजस्थान खातेदार ।	ठीकराना मेन्द्रातान	409 413 435	0.0081 हैक्टेयर 0.4290 हैक्टेयर 0.0971 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12.7.24 को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी नगर, परिषद ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की किरानीपुरा योजना के आवसीय/व्यवसायिक भूखण्ड सख्या 9-खसरा नं. 1949 क्षेत्रफल 228 वर्गगज के आवंटी / अन्तरिति श्री अमरचंद मंगल पुत्र श्री हीरालाल उर्फ रोशनलाल निवासी sos, सूर्यनगर, प्रेमबसंत शिवनगर धोलाभाटा अजमेर की मृत्यु दिनांक 20/01/2018 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा(पंजीकृत/अपंजीकृत) दिनांक 5.8.16 सलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री कैलाश चन्द गर्ग पुत्र गुलाबचंद गर्ग निवासी ब्ल्यू केसल अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज कराये, उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 226 क्षेत्रफल 46.84 के आवंटी/अन्तरिति श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र श्री मांगीलाल गोयल निवासी C-119 शास्त्री नगर , अजमेर की मृत्यु दिनांक 17/01/2007 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत/अपंजीकृत दिनांक 15/05/2004 सलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री अशोक कुमार पुत्र कीमतराय निवासी क्वार्टर नं. 522 कोटडा अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी के आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करायें। अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांकः न.प.कि./PWC/2024/268 **आम सूचना** दिनांकः 12/7/2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 444/1 गोल्डन सिटी प्रथम (भूखण्ड संख्या 47 क्षेत्र. 225 वर्गगज) पर श्री प्यारेलाल साहू पुत्र गोपाल लाल साहू ने आवेदन प्रस्तुत कर भवन निर्माण स्वीकृति चाही गई है।

उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व में - भूखण्ड संख्या 22 पश्चिम में : रास्ता 40 फुट

उत्तर में - रास्ता 40 फुट दक्षिण में : भूखण्ड सं. 46

अतः उक्त भवन निर्माण स्वीकृति में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपति स्वीकार नहीं होगी ।

प्रभारी
नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ, अजमेर (राजस्थान)

क्रमांक/न.पा.कि /प्रा.अ/कृ.भू.नि/2024 **लोक सूचना** दिनांक :

आवेदक उदय सिंह पुत्र भंवर सिंह 2. तेज सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह 3. भगवान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत मोहल्ला किशनगढ जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्र
किशनगढ-अजमेर	तोलामाल	825/488	खसरा नम्बर 525/488, क्षेत्रफल 37196.0 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12.7.24 को जारी की गयी ।

आयुक्त नगर परिषद किशनगढ

वाहन चालकों को 31 जुलाई तक अंतिम मौका

अजमेर, (कासं)। एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता के लिए वाहन मालिकों को 31 जुलाई तक अंतिम मौका दिया है। मालूम हो कि एचएसआरपी लगवाने के लिए 30 जून तिथि निर्धारित थी, जिसे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब तक अजमेर जिले में हजारों वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ही दौड़ रहे हैं। अंतिम मौके 31 जुलाई के बाद वाहन चालकों के दो से पांच हजार रुपए तक के चालान कटेगा।

राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत वाहन मालिक को अपने पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराना था। अजमेर जिले में पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की प्रक्रिया काफी धीमी रही, ज्यादातर लोगों ने अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने में रुचि नहीं ली। अजमेर में अब तक 18 हजार 535 वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए आवेदन किया था, अब तक 17 हजार 114 वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जा चुकी है, जबकि 1 हजार 421 पेंडिग हैं।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर कटेगा चालान:- वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों पर मनमर्जी की स्टाइलिश नंबर प्लेट लगा रखी थी। कुछ इस तरह से नंबर लिखवाए गए जो आसानी से पढने में ही नहीं आते, कई लोगों नंबर की जगह नाम लिख्वाते। लेकिन अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वाहन का रजिस्ट्रेशन कर नंबर प्लेट लगवाई जा रही है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर यातायात पुलिस कमर्शियल और नॉन कमर्शियल चौपहिया वाहनों के लिए 5 हजार तथा दुपहिया वाहनों पर 2 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।

15 साल पुराने वाहन की नई आरसी नहीं होने पर भी होगी कार्यवाही:- परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण भी अनिवार्य है। वाहन चालक विभाग की वेबसाइट पर जाकर या कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। 15 साल पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नहीं होने पर सडक् पर दौड़ते वाहन पर सीज व जुर्माने की कार्रवाई अमल में आई जाएगी।

कार्यालय पंचायत समिति कोटडी जिला शाहपुरा

क्रमांक :- पसको/निविदा/2024-25/219

दिनांक - 11.07.2024

निविदा सूचना 2024-25

पंचायत समिति कोटडी की अधीनस्थ वर्ष 2024-25 हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की अन्य योजना हेतु विभिन्न निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी मे विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजिकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित कि जाती है, जिसका विस्तृत विवरण WWW.SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN एव WWW.EPROC.RAJASHTHAN.GOV.IN पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

NIB NO. ZBL2425A0299
UBN NO. ZBLWSOB00611-22

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, कोटडी, कोड नं. 2120

कार्यालय ग्राम पंचायत फलामादा, पंचायत समिति हुरडा, जिला-भीलवाडा

क्रमांक :- 2024-25/15 दिनांक - 8.07.2024

निविदा सूचना 2024-25

ग्राम पंचायत फलामादा की और से विभिन्न कार्यो हेतु ग्राम पंचायत की SFC/FFC व अन्य योजना के उपयुक्त श्रेणी में विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजिकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित विकास कार्यो की मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी सभी शर्ते कार्यालय समय में ग्राम पंचायत हुरड़ा में देखी जा सकती है।

NIB NO. ZBL2425WSOB00629-35
UBN NO. ZBL2425A0301

सरपंच ग्राम पंचायत फलामादा प.स. हुरडा (भीलवाडा)
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत फलामादा प.स. हुरडा (भीलवाडा)

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोमलपुर के खसरा न 839 नियमन शुदा के आवासीय भूखण्ड संख्या 3व7 अन्य क्षेत्रफल 138.88 व 104.16 व 1111.66 वर्ग गज आवंटी / अन्तरिति (1) श्रीमती मदीना पत्नि अलादीन चीता निवासी सोमलपुर अजमेर की मृत्यु दिनांक 26/10/22 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसो क्रमश (1) श्रीमती जेनब बानो पुत्री अलादीन चीता पत्नि महबूब (केसरपुरा) (2) श्रीमती फरजाना बानो पुत्री अलादीन चीता पत्नि बशीर (3) श्रीमती मुमताज बानो पुत्री अलादीन चीता पत्नि शमशुदीन (4)श्रीमती रमजानी पुत्री अलादीन चीता पत्नि रोशन काठात (ब्यावर) (5) श्रीमती रशीदा बानो पुत्री अलादीन चीता पत्नि मों सलीम (6) श्रीमती शहनाज बानो पुत्री अलादीन चीता पत्नि सलीम (7) श्रीमती हाफिजा पुत्री अलादीन चीता पत्नि वकील मोहम्मद (सोमलपुर) (8) मोहम्मद वाजिद खान पुत्र अलादीन चीता निवासी सोमलपुर अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सदार रमजान खान चीता पुत्र अलादीन चीता निवासी सोमलपुर अजमेर के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 8/5/2023 व 19/3/24 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध मे किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांकः अविप्रा/प3/भू.उ.परि./2024/5574-75 दिनांक 11.7.2024

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि / 2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	भूखण्ड सं.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-2) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	9
1	1. श्री रमेश लखानी पुत्र स्व. श्री श्याम लाल 2. श्री दीपक लखानी पुत्र श्री रमेश लखानी	खसरा संख्या 1175 ग्राम घूघरा	प्लाट नं ...	2061.53 वर्ग मीटर	व्यवसायिक नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 4.8.2023 के अनुसार मिश्रित अनुज्ञेय	व्यवसायिक	पेट्रोलपम्प व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था / व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपति कारण / विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपति या सुझाव पर विचार नही किया जायेगा।

निदेशक आयोजना अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत अरांई

पं.स. अरांई, जिला-अजमेर राज (305813)

क्रमांक 88 दिनांक 11.7.2024

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार मौर्य पुत्र श्री सुगना रेगर ने ग्रा.पं. में पट्टा संख्या 33 बुक सं. 04 दिनांक 19.2.2008 को जारी पट्टा सं. के नवीनीकरण हेतु ग्रा.पं. अरांई में आवेदन किया है। उक्त पट्टा विलेख के क्रम में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति हो तो ग्रा.पं. कार्यालय में व्यक्तिशः प्रस्तुत होकर अवगत करावें। दिनांक 10.08.2024 तक ही दर्ज आपति मान्य होगी।

उ. गली निकास द. मूलचंद/कल्याण टांक
पू. मुकुट बिहारी /छोटू रेगर प. मुकुट बिहारी/जगदीश रेगर

बाद मियाद के किसी आपति पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अरांई, पं.सं. अरांई (अजमेर)
सरपंच ग्राम पंचायत अरांई, पं.सं. अरांई (अजमेर)

खोया-पाया

मेरे हाउसिंग बोर्ड की प्रोपर्टी मकान नं. 04/87 जो कि नाकामदार अजमेर में स्थित है। जिसका पजेशन लेटर, आवंटन पत्र व अन्य दस्तावेज 15 मई 2024 को नसीराबाद बस स्टैंड पर जाते समय कहीं गिर गए हैं। मिलने पर सम्पर्क करें।

मोहद खालिद पुत्र मोहद शफी, पॉपसिंह मौहल्ला.म.न.2608/5 नसीराबाद

NAME CHANGE

I have changed my name from MORU JAT D/O BHAGCHAND to ANURADHA, so in future I should be known by my new name, MY NEW NAME IS ANURADHA
ANURADHA D/O BHAGCHAND JATVILLAGE - KALANADA TEHSIL-ARAI DIST- AjmerPIN -305813

NAME CHANGE

I have changed my name from ANKAR, D/O of BHAGCHAND TO ARUSHI CHOUDHARY, D/O of BHAGCHAND CHOUDHARY, so in future I should be known by my new name.My NEW NAME IS ARUSHI CHOUDHARY
ARUSHI CHOUDHARY D/O BHAGCHAND CHOUD-HARY VILLAGE - KALANADA TEHSIL-ARAI DIST- Ajmer PIN -305813

नाम परिवर्तन

मैंने मेरे पुत्र का नाम Ali Akbar khan से बदलकर Ali Akbar रख लिया है, अतः उसे सभी आवश्यक कार्यो हेतु इसी नाम से जाना जाए (शपथ-पत्र सं. BV 752318, दि.12/07/2024)-शाहीन रूबी पत्नी साहिल खान, 625/23, लौंगिया मोहल्ला, अजमेर।

आम सूचना

मेरे पुत्र तेजू पुत्र छगना जाति बलाई निवासी आकोडिया की मृत्यु दिनांक 1.1.1992 को मेरे निवास स्थान आकोडिया में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत आकोडिया में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे पुत्र तेजू का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने बावत जिस किसी व्यक्ति को आपति हो तो 7 दिन में मयदस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई भी आपति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी - तारा पत्नि छगना जाति बलाई निवासी आकोडिया तह. अरांई (अजमेर)

राजेश जैन को मातृ शोक

जैन समाज की माता जी चंचल देवी बाबेल।

अजमेर, (कासं)। आरपीएससी अमरदीप कॉलोनी अजमेर निवासी राजेश जैन (राष्ट्रदूत) की माता चंचल देवी पत्नी ज्ञानचंद बाबेल का गुरूवार को निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार आतेड छतरी योजना वैशाली नगर स्थित मुक्तिधाम में किया गया। इस दौरान शव यात्रा में शहर के कई पत्रकार व गणमान्य लोग मौजूद रहे। चंचल देवी बाबेल का उठावना जैन श्वेताम्बर संस्था पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशाली पर शनिवार 13 जुलाई 2024 को शाम चार से साढ़े बजे तक रखा गया है।

मोहर्रम के पहले जुम्मे की नमाज अदा

अजमेर, (कासं)। मोहर्रम यानी मिनी उर्स के मौके पर शुक्रवार को मोहर्रम के पहले जुमे की नमाज में अकीदत मंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। अकीदतमंदों ने दरगाह और कायड़ विश्राम स्थली पर नमाज अदा की। वहीं तडके़ चार बजे दरगाह स्थित बाबा फरीद का चिल्ला बंद कर दिया गया। जायरीन की भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मोहर्रम की परंपरा के अनुरूप अलम का जुलूस निकला। शनिवार को ख्वाजा साहब की महाना छठी शरीफ मनाई जाएगी।

मोहर्रम यानी मिनी उर्स के मौके पर शुक्रवार को सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह में मोहर्रम के पहले जुमे की नमाज अदा करने और बाबा फरीद के चिल्ले की जियारत करने की ख्वाहिश लेकर अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में पहुंचे अकीदतमंद के चलते जुमे की नमाज में दरगाह के बाहर लम्बी कतार लग गई, धानमंडी तक पहुंची। वहीं कायड़ विश्राम स्थली में भी बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों से आए जायरीन ने जुमे की नमाज अदा की, साथ ही दरगाह परिसर स्थित बाबा फरीद के चिल्ले की जियारत के लिए भी लम्बी कतार लगी। बाबा फरीद का चिल्ला शनिवार तडके़ 4 बजे बंद कर दिया गया। यह चिल्ला मोहर्रम में 72 घंटे के लिए ही खोला जाता है। इस दौरान जिला व पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।

अलम का जुलूस निकला:- मोहर्रम से जुड़े रसूमात जारी हैं। शुक्रवार को हजरत अब्बास अलमदार की याद में अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जायरीन और आमजन में अलम को चूमने की होड़ मची रही। परम्परा अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे खादिम समुदाय के बच्चे, बुजुर्ग और जवान हरे रंग के कुर्ते पहनकर छतरी गेट स्थित इमामगाह पहुंचे। सभी ने शहीदों की याद में सीधे हाथ के बाजू पर इमाम जामिन बांधने के अलावा फकीरी पहनी। जुलूस खामोशी केसाथ छतरी गेट से रवाना होकर डोलियान चौक होता हुआ खादिम मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा पहुंचा, यहां अलम पेश करने के बाद शहीदों की याद में सलाम पेश किया गया।

महिला के गले से तोड़ी चैन

- **एक युवती पर जताया शक**

अजमेर, (कासं)। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर चैन स्नेचिंग की वारदात सामने आई। ई रिक्शा में बैठकर खरीददारी करने के लिए बाजार आई महिला के गले से चैन तोडने का मामला सामने आया है। पीडिता ने कोतलवी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने ईरिक्शा में पास में बैठे युवती पर शक जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली थाने के एएसआई मनीराम ने बताया कि परनामी रेजीडेंसी आनासागर लिंक रोड निवासी ललिता कुमारी शर्मा अपनी जेठानी के साथ लिंक रोड से ई-रिक्शा में सवार होकर खरीददारी के लिए पुरानी मंडी जा रही थी। बजरंगगढ़ से थोड़ा आगे ई-रिक्शा में एक महिला और दो लड़कियां भी सवार हो गई। ललिता ने पुलिस को बताया कि उसके पास बैठी एक लडकी बार-बार उसके ऊपर गिर रही थी और कंधे पर हाथ रख रही थी। पुरानी मंडी आने के बाद वह उतर गई, जब ललिता अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी डेढ़ तोले की सोने की चैन गायब है। पीडिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच हैडकांस्टेबल कैलाश को सौंपी है।

पं.स. का कनिष्ठ सहायक निलंबित

मसूदा, (निसं)। मसूदा पंचायत समिति कार्यालय में प्रशासनिक मद को लेकर अतिरिक्त भुगतान करने पर कनिष्ठ सहायक को निलंबित किया गया। मसूदा पंचायत समिति में नरेगा कार्यों को लेकर आवंटित राशि का प्रशासनिक मद को कनिष्ठ सहायक प्रकाश सैन द्वारा किसी फर्म को करीब 86 हजार रूपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। पंचायत समिति द्वारा किए गए भुगतान को लेकर अजमेर सीओ को जानकारी मिलने पर मामले को लेकर आवश्यक कारवाई करने को लेकर मसूदा विकास अधिकारी मधुसुदन को दिशा निर्देश दिए।

कार्यालय ग्राम पंचायत सोडार पंचायत समिति हुरडा, जिला भीलवाडा

क्रमांक :- ग्राम.पं/निविदा/2024-25/SP-01

दिनांक - 11.07.2024

निविदा सूचना 2024-25

ग्राम पंचायत सोडार की ओर से विभिन्न कार्यो हेतु उपयुक्त श्रेणी में विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी सभी शर्ते कार्यालय समय में ग्राम पंचायत आकोला एवं प्रपत्र व अन्य शर्ते वेबपोर्ट- http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB NO. ZBL2425A0298
UBN NO. ZBL2425WSOB00607

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सोडार

कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डावरिया, पंचायत समिति अरांई, अजमेर

क्रमांक :- ग्रा.प.म/निर्माण/2024-25/02

दिनांक - 12.07.2024

सीमित निविदा सूचना

पंचायत समिति अंराई की अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डावरियां में कार्य का नाम 1. राज. उच्च. प्राथमिक विद्यालय में RTWHS निर्माण कार्य ग्राम झाड़ोल व 2. राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय में RTWHS निर्माण कार्य ग्राम मण्डावरियां कार्यो के लिए सिमित निविदाए आमंत्रित कि जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

NIB NO. ZAJ2425A0199
UBN NO. ZAJ2425WSLB00208

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मण्डावरिया
सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरिया